झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–ख०नि०(पूर्वी सिंहभूम)–50/04 52 /एम०, राँची, दिनांक–06.01.2022

सेवा में,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:– **पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा–सुरदा के रकबा 388.68 हे० क्षेत्र पर कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० का आवेदन पत्र दिनांक–27.12.2019 के संबंध में।**

प्रसंग:– (i) उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम का पत्रांक–266/खनन, दिनांक–28.02.2020
(ii) मंत्रीपरिषद की बैठक दिनांक–09.12.2021 में मद संख्या–10 द्वारा खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति।

आदेश– पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा–सुरदा के रकबा 388.68 हे० क्षेत्र पर सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा धारित कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा का MMGC Rules 2015 के नियम 3(2)के तहत दिनांक–01.04.2020 से 31.03.2040 तक (20 वर्षों के लिए) कैप्टिव उपयोग हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों पर प्रदान की जाती है :–

1.	**क्षेत्रफल**	:–	388.68 हे०
2.	**खनिज**	:–	कॉपर एवं एसोसिएट खनिज।
3.	**अवधि**	:–	01.04.2020 से 31.03.2040 तक।
4.	**स्वामिस्व, DMFT, NMET, Management fee एवं अन्य देय शुल्क**	:–	MMDR Act, 1957/MMDR Act, 2015 यथा संशोधित 2021 एवं केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निरूपित नियम/प्रावधान एवं संशोधन के अनुसार सभी वैधानिक राशि का भुगतान करना होगा।
5.	**नियत लगान (डेड रेन्ट)**	:–	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची–III एवं समय–समय पर किये गये संशोधनानुसार देय होगा।
6.	**भूतल लगान (सरफेस रेंट)**	:–	सरकार द्वारा प्रभावी दर से देय होगा।
7.	**प्रतिभूति (सेक्यूरिटी)**	:–	10,000 (दस हजार) रू० एवं समय–समय पर संशोधित दर से प्रतिभूति राशि का भुगतान करना होगा।

D/Director office/Joint secy Letter/Barla

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

Scanned with CamScanner

8. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, आवेदक कम्पनी के पक्ष में विस्तारित पट्टा संविद निष्पादन एवं निबंधन करने के पूर्व वन विभाग की अनापत्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा अन्य आवश्यक वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही साथ विस्तारित पट्टा संविद का निष्पादन के पूर्व सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० के द्वारा MoEF & CC के दिनांक–01.04.2015 को निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए देय NPV को जमा करायेंगें।

9. सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० को इस विस्तारित पट्टा संविद के निष्पादन के पूर्व सुरदा खनन पट्टा का DGPS सर्वे पूरा कर भूतत्व निदेशालय को समर्पित कर अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10. सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० को नियमानुसार सुरदा खनन पट्टा के पूर्वेक्षण के पश्चात समर्पित प्रतिवेदन पर भूतत्व निदेशालय अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11. आवेदक कम्पनी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015, खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम 2015, खनिज समनुदान नियमावली, 2016, खनिज संरक्षण विकास नियमावली, 1988 / 2017, खनिज अधिनियम, 1952, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, एवं The air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Scheduled Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 (FRA Act)/ Minimum Wages Act, 1948, Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 एवं अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के अन्तर्गत वर्त्तमान में निर्गत अथवा भविष्य में होने वाले निर्गत शर्त्त/बंधेज/पत्र/आदेश/मार्गदर्शन/निदेश / अनुदेश/संकल्प/ अधिसूचना आदि का अनुपालन करना होगा। आवेदक कम्पनी को स्वीकृत वन अनापत्ति/पर्यावरणीय स्वीकृति/ C.T.O/अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं माईनिंग क्लोजर प्लान आदि में निहित शर्त्तो एवं बंधेजो का अनुपालन करना होगा।

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

12. आवेदक कम्पनी को खनिज समनुदान नियमावली, 2016 के नियम–8 के तहत Schedule-VII में पट्टा संविद का निष्पादन करना होगा, जिसमें उपरोक्त शर्त्तो के अतिरिक्त निम्नांकित शर्त्तो को समावेशित किया जाना होगा :–

(I). माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.114/2014 कॉमन कॉउज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–02.08.2017 के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा धारित खनन पट्टों के बावत कुल रू० 9,29,40,06,242/– का माँग पत्र निर्गत है जिसके विरूद्ध सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा खान न्यायाधिकरण में पुनरीक्षणवाद दायर किया गया है। इस संबंध में सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा Undertaking दिया गया है। अतः निर्गत माँग पत्र के विरूद्ध खान न्यायाधिकरण में दाखिल पुनरीक्षणवाद के अंतिम आदेश/अन्य न्यायालीय आदेशों का अनुपालन सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० को करना होगा।

D/Director office/Joint secry. Latter/Barla

Scanned with CamScanner

(II). जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० को औपबंधिक स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र दिया गया है। भविष्य में जाँच के पश्चात किसी प्रकार का और भी बकाया निकलेगा तो उसका भी भुगतान पट्टेधारी को करना होगा।

(III). यदि खनिज का स्वामिस्व किसी कोटि और श्रेणी पर निर्धारित है पर पट्टाधारी उसे सर्वोच्च कोटि का घोषित करते है तो किसी प्रकार की जाँच प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नही होगी।

(IV). यदि पट्टाधारी खनिज को निम्न कोटि का घोषित करते है, तो उन्हें इस आशय का जाँच प्रमाण पत्र राजकीय भूतात्विक प्रयोगशाला, हजारीबाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। खनिज के विश्लेषण का खर्च पट्टाधारी को वहन करना होगा। खनिज के प्रेषण के 60 दिनों के अन्दर यदि पट्टाधारी उक्त जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते है तो यह समझा जायेगा कि प्रेषित किया गया समस्त खनिज सर्वोच्च कोटि का है।

(V). प्रासंगिक अधिनियम या इसके अंतर्गत नियमों के अतिरिक्त किसी अन्य नियम में उल्लिखित प्रावधानों के रहते हुए भी राज्य सरकार 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी भी लगान, स्वामिस्व या शुल्क (खनिज समनुदान नियमावली, 2016 के नियम–49) या अधिनियम या इन नियमों या अन्य किसी खनन पट्टा की शर्त्तों के अन्तर्गत सरकार की बकाया अन्य राशि पर सरकार द्वारा भुगतान के लिए निश्चित की गयी तिथि के 60 दिनों के बीत जाने की तिथि से साधारण सूद सरकार तब तक वसूल कर सकती है जबतक स्वामिस्व लगान, शुल्क या अन्य राशि का भुगतान नहीं हो जाता है।

(VI). भूमि अर्जन, पुनर्वासन पुनर्व्यस्थापन एवं उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के तहत मुआवजा का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

(VII). खनन पट्टेधारी पर पूर्व निष्पादित खनन पट्टा संविद के सभी शर्त्त लागू रहेंगे। साथ ही साथ खनन पट्टा के संचालन में किसी भी तरह का वैधानिक अनियमितता प्रतिवेदित की जाती है तो वो प्रभावी होगा तथा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

(VIII). यह पट्टा झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुख्यालय जमशेदपुर में भारत के संविधान के अनुच्छेद–226 के उपबंध के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाएगा और पट्टे के अधीन आनेवाले क्षेत्र पट्टे के शर्त्तों पट्टे के अधीन वसूली और पट्टेदार व पट्टाकर्त्ता द्वारा यह करार किया जाता है कि पट्टेदार व पट्टाकर्त्ता के बावत सभी विषय के संबंध में किसी विवाद की दशा में वाद अपील जमशेदपुर के सिविल न्यायालय में अथवा याचिका झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर की जाएगी। ऊपर नामित न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर कोई पक्ष वाद या अपील दायर नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

(IX). खनन पट्टेधारी को पूरक खनन पट्टा संविद का निष्पादन स्वीकृति आदेश निर्गत होने के तीन माह के अन्दर करना होगा।

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

Scanned with CamScanner

13— निष्पादित एवं निबंधित पट्टे की तीन प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र भेजें।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

06/01/2022
(हरि कुमार केशरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—ख०नि०(पूर्वी सिंहभूम)—50/04 52 /एम०, राँची, दिनांक—06.01.2022

प्रतिलिपि :—डायरेक्टर जेनरल ऑफ माईन्स सेफ्टी, धनबाद/कंट्रोलर जेनरल, इण्डियन ब्यूरो ऑफ माईन्स, नागपुर/उप निदेशक, खान, कोल्हान अंचल, चाईबासा/जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि०, सुरदा कॉपर माईन्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/01/2022
सरकार के संयुक्त सचिव।

MAMTA PRIYADARSHI
Divisional Forest Officer
Jamshedpur Forest Division
Jamshedpur

Scanned with CamScanner